

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में।
संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017

- 0 - 0 -

संदर्भित आदेशों द्वारा शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन एतद्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरन्तर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :-

पद व प्रारम्भिक वेतनमान	12 वर्ष (प्रथम वरिष्ठ वेतनमान)	24 वर्ष (द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान)	30 वर्ष (तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान)
सहायक शिक्षक (एल. डी.टी.) 4000-6000 (5200-20200+2400 ग्रेड-पे)	5000-8000 (9300-34800+3200 ग्रेड-पे)	5500-9000 (9300-34800+3600 ग्रेड-पे)	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
शिक्षक (यू.डी.टी.) 5000-8000 (9300-34800+3200 ग्रेड-पे)	5500-9000 (9300-34800+3600 ग्रेड-पे)	6500-10500 (9300-34800+4200 ग्रेड-पे)	15600-37100+6600 ग्रेड-पे

2/ क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19.04.99 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होंगी। तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिनांक 01/07/2014 से प्रभावशील माना जाएगा।


...2

(Handwritten Signature)

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्षा - 4)

3/ यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रमांक 1252/1448/2017/वित्त/ नियम/ चार, दिनांक 31.07.2017 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सी०बी०पडवार)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

पृ. क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) म०प्र० शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. विशेष सहायक, मान० मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म०प्र० भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र म०प्र० भोपाल
9. समस्त कलेक्टर, म०प्र०।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म०प्र०।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म०प्र०।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म०प्र०।
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म०प्र०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
14. आर्डर बुक।



(सी.बी. पडवार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
(कक्षा - 4)

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृ.क. स्था-3/एच/67/2017/1802
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 14/11/17

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
6. विशेष सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल ।
7. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल ।
8. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन म.प्र. भोपाल ।
9. आयुक्त/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल ।
10. समस्त कलेक्टर म.प्र. ।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म.प्र. ।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र. ।
13. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर म.प्र. ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी म.प्र. ।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. ।
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अंजु पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

६

अनुष्ठापक अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल